बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या–4/क्षे0स्था0 (आवंटन)–01/2018– (4)/रा0 पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय– **राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक,राजस्व कर्मचारी, अमीन) के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2802 संविदा सेवाये मद में से वित्तीय वर्ष–2018–19 के लिए 2,40,00,000.00 (दो करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष– 2029– भू– राजस्व– उपमुख्य शीर्ष– 00, लधुशीर्ष– 104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष– 0001 – राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या– 40 विपत्र कोड– 40 – 2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2802 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

3. राज्य के कुल– 17 जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर संविदा पर नियोजित कर्मियों (लिपिक,राजस्व कर्मचारी, अमीन) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मानदेय भुगतान हेतु संलग्न विवरणी (अनुसूचि–1) के अनुसार 2,40,00,000.00 (दो करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड–40–2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतेय होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.1998 के आलोक में की जायेगी। साथ ही समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–8025 दिनांक–21.05.2013, 2401, दिनांक–18.07.2007 एवं 1718, दिनांक–06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक,राजस्व कर्मचारी, अमीन) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

फैक्स
ई–मेल

ज्ञापांक :– 69 – **(4)/रा0, पटना–15, दिनांक–** 01/2/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्त्ता/विभागीय प्रशाखा–5 'बजट शाखा' को (आवंटन निर्गत हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

31/1

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

(अनुसूची–1)

मुख्य शीर्ष– 2029 माँग संख्या– 40 विपत्र कोड–40–2029001040001 अंतर्गत 2802 संविदा सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत राशि की जिलावार विवरणी :–

क्र0	जिला	स्वीकृति राशि
1	*2*	*3*
1	समस्तीपुर	1800000
2	बेगुसराय	1600000
3	दरभंगा	1600000
4	औरंगाबाद	1800000
5	मधुबनी	1700000
6	अरवल	200000
7	कैमूर	1400000
8	जहानाबाद	1500000
9	कटिहार	1800000
10	नालन्दा	1800000
11	सीतामढ़ी	1400000
12	खगड़िया	400000
13	मधेपुरा	2200000
14	नवादा	1300000
15	पूर्वी चम्पारण	2300000
16	अररिया	600000
17	सिवान	600000
	कुल–	**24000000** (दो करोड़ चालीस लाख) मात्र रूपये मात्र

gsm 31/1

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।